न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 71/2020
GCMS : 2020/00105

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. लाडुदेवी पुत्री हरलालराम जाति– जाट निवासी– लिलरिया हाल निवासी बेरों की ढ़ाणी, आ. कालू, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. हरलालराम पुत्र सुखाराम जाति– जाट, निवासी– लिलरिया(आ0कालू) तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 2. उपपंजियन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/06/2020

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

दिनाँकः 21/10/2020

–:: निर्णय ::–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायला एवं गैरसायल संख्या 1 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा लिलरिया पटवार हल्का आ0कालू प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 581/1 रकबा 20–10 बीघा, खसरा नम्बर 581/2 रकबा 0–06 बीघा व राजस्व ग्राम आ0कालू प्रथम पटवार हल्का आ0कालू प्रथम में स्थित ख0न0 619 रकबा 1–06 बीघा, खसरा नम्बर 615 1–10 बीघा, खसरा नम्बर 616 रकबा 0–18 बीघा, ख0न0 617 रकबा 0–19 बीघा ख0न0 623 रकबा 1–12 बीघा व राजस्व ग्राम बस्सी पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय में स्थित कृषि भूमि ख0न0 1237 रकबा 24–04 बीघा, खव0न0 1062 रकबा 11–08 बीघा व राजस्व ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय के ख0न0 678 रकबा 12–08 बीघा, ख0न0 680 रकबा 6–16 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है तथा उक्त आराजी को आगे विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक में वर्णित आराजी सायला के पुश्तैनी आराजी है जिसमें सायला का जन्मतः अर्थात बाई बर्थ हक व अधिकार निहित है उक्त सम्पति वक्त सैटलमेन्ट सुखा पुत्र लादू के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी तथा सुखा पुत्र लादू के फौत होने के पश्चात हरलाल पुत्र सुखा अर्थात गैरसायल संख्या एक के नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई और गैरसायल संख्या 01 जो कि सायला के पिता है जिनका वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज है और उक्त सम्पति गैरसासल संख्या 01 की स्वअर्जित नहीं होकर के पुश्तैनी सम्पति है। वंशवाली के अनुसार वादग्रस्त सम्पति सायला के पूर्वजों की सम्पति थी जो [illegible] उनके वारिसान को मिली है। सायला के दादा सुखाराम का देहान्त होने के पश्चात [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2020.10.29 17:10:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

सायला के पिता हरलाल जी को मिली जिनका वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज है उक्त वादग्रस्त सम्पति में सायला का जन्मतः हक व अधिकार है क्योकि उक्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है। नकल मिसल बन्दोबस्त प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित विवादित सम्पति जो कि सायला के दादा के फौत होने के पश्चात उनके पुत्र अर्थात गैरसायल संख्या 01 हरलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है जिसमें गैरसायल संख्या 01 हरलाल उक्त सम्पति का मात्र उपयोग करने का हक अधिकार है न कि उक्त पुश्तैनी सम्पति को किसी को रहन बेचान बक्सीस हस्तान्तरण करने का अधिकार है परन्तु फिर भी गैरसायल संख्या 01 मात्र राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज होने के आधार पर सायला को उसकी पुश्तैनी सम्पति से वंचित रखने एवं उसके जायज हक अधिकरों से महरूम करने की नियत से उक्त सम्पति को अब हस्तान्तरित करना चाहता है जबकि गैरसायल संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि वादग्रस्त सम्पति सायला की पुश्तैनी सम्पति है और गैरसायल संख्या 01 के साथ-साथ सायला का भी उतना भी हक अधिकार उक्त सम्पति में है जितना गैरसायल संख्या 01 का है। गैरसायल संख्या 01 के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से सायला को इस सम्पति से वंचित रखने, बेदखल करने पर आमादा है जबकि गैरसायल संख्या 01 को ऐसा करने को कोई कानूनी हक अधिकार नही है क्योंकि वर्तमान में गैरसायला संख्या 01 की पत्नी कबूदेवी का भी देहान्त हो गया है इसलिए अब गैरसायल संख्या 01 कि नियत में खोट आ गयी एवं वह अन्य लोगों की बहकावट व सिखावट में आकर सायला को उक्त सम्पति से वंचित कर बेदखल करने पर आमादा है। जबकि गैरसायल संख्या 01 को यह भली भांति जानकारी है कि वादग्रस्त सम्पति पुश्तैनी सम्पति है जिसको रहन बेचान बक्सीस करने का कोई हक अधिकार नहीं है परन्तु फिर भी कानून को ताक में रखकर गैरसायल संख्या 01 गैरकानूनी कृत्य करने पर आमादा है इसलिए सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। गैरसायल संख्या 01 की पत्नी के फौत होते ही गैरसायल संख्या 01 अन्य लोगो की सिखावट व बहकावट में आकर सायला को उसकी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से वंचित रखने के लिये उक्त वादग्रस्त सम्पति को किसी अजनबी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने पर उतारू है जबकि गैरसायल संख्या 01 का वादग्रस्त सम्पति में अकेले का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है और सायला गैरसायला संख्या 01 की जायन्दा पुत्री होने से वादग्रस्त सम्पति में सायला का भी गैरसायला संख्या 01 के साथ बराबर हक हिस्सा एंव अधिकार है मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हो जाने के आधार पर यदि पुश्तैनी सम्पति का गैरसायल संख्या 01 रहन बेचान करता है या सायला को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करता है तो सायला को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है क्योंकि सायला को उक्त सम्पति में गैरसायल संख्या 01 के साथ बराबर हक हिस्सा है, मौके पर सम्पति का बंटवाडा नहीं हो रखा है यदि गैरसायल संख्या 01 अपने गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाता है तो मौके पर विवाद बढेगा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स बढेगी। इसलिए सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र सायला द्वारा विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। दिनांक 15.06.2020 को गैरसायल संख्या 01 से सायला को कहा कि उक्त सम्पति में सायला का कोई हक अधिकार नहीं है वह सम्पूर्ण अपने हिस्से की सम्पति को बेचान करेगें एवं सायला को मौके से बेदखल करेगें इस तरह की धमकी गैरसायल संख्या 01 को सायला को दी तब सायला को सायला द्वारा गैरसायल संख्या 01 को समझाईस की गई कि उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है जिसमें सायला का भी बराबर का हक अधिकार है परन्तु गैरसायल संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar I
Date: 2020.10.29 17:10:40 I
Reason: SelfAttested

नहीं माना और उक्त सम्पति को हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। यदि गैरसायल संख्या 01 अपने गैरकानूनी मंसूबों में कामयाब हो जाता है और उक्त वादग्रस्त सम्पति को रहन बेचान बक्सीस व हस्तान्तरण कर देते है एवं खुर्द बुर्द कर देते है तो सायला अनपने जायज हक अधिकारी से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी इसलिए सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र निषेधाज्ञा बहक सायला विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त परिस्थितियों, दस्तावेजात्, मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखुबी साबित है वादग्रस्त सम्पति का बाई बर्थ हक अधिकार है परन्तु पुश्तैनी सम्पति है जिसमें सायला का बाई बर्थ हक अधिकार है परन्तु गैरसायल संख्या 01 का मात्र राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज होने के आधार पर वह उक्त सम्पति को खुर्द बर्द करता है, रहन, बेचान बक्शीश व हस्तान्तरण करता है तो वादीया को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है इसलिए सायला के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान के पेश है।

जवाब गैरसायल संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पेश किया है कि प्रार्थनापत्र में दर्ज कथनों का जवाब है कि प्रार्थनापत्र के यह संख्या एक का जवाब है कि इस पर वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा लिलरिया पटवार हल्का आ.कालू, प्रथम में खसरा नम्बर 581/1 रकबा 20-10 बीघा, खसरा नम्बर 581/2 रकबा 0-06 बीघा, तथा सरहद मौजा लिलरिया पटवार हल्का आ.कालू, प्रथम में खसरा नम्बर 619 रकबा 1-0 बीघा, खसरा नम्बर 615 रकबा 1-10 बीघा, खसरा नम्बर 616 रकबा 0-18 बीघा, खसरा नम्बर 617 रकबा 0-19 बीघा, खसरा नम्बर 623 रकबा 1-12 बीघा व ग्राम बस्सी पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1237 रकबा 24-04 बीघा, खसरा नम्बर 1062 रकबा 11-08 बीघा व राजस्व मौजा ग्राम आ0कालू द्वितीय पटवार हल्का आ0कालू द्वितीय में खसरा नम्बर 678 रकबा 12-08 बीघा अवश्य आई हुई है। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि पर सायला कभी काबिज नहीं रही। सायला का विवाह कर दिया एवं विवाह के पश्चात अपने ससुराल चली गयी वही पर निवास कर रही है अर्थात् सायला आउट ऑफ पजेशन है। इसके अलावा इस पद मेूं वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इस पद में वर्णित वंश वृक्षावली सही होने से स्वीकार है इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से उतरदाता गैरसायल अस्वीकार करता हैं तथा उतरदाता गैरसायल उक्त विवादित कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्ताकर है तथा सायला उक्त भूमि से आउट ऑफ पजेशन है एवं सायला का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है इसलिए सायला उतरदाता गैरसायल के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होने से से सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि उत्तरदाता गैरसायल विवादित कृषि भूमि का रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको अपनी उक्त भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, रहन व वसीयत आदि करने का पूर्ण हक अधिकार है। सायला जो कि उत्तरदाता गैरसायल की जायन्दा पुत्री है जिसकी भरण पोषण, शादी विवाह इत्यादि का सम्पूर्ण खर्च उतरदाता गैरसायल ने वहन किया एवं सायला के ससुराल मे सामाजिक रिति रिवाज अनुसार होने वाले सम्पूर्ण खर्चो को भी उत्तरदाता गैरसायल वहन करता चला आ रहा है तथा गैरसायल वृद्ध व्यक्ति है जिसकी आजीविका का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि है तथा एक पिता के जीवित रहते पुत्री को किसी प्रकार ... पुश्तैनी सम्पति मे हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा केवल मात्र ... उत्तरदाता गैरसायल के विरोधी लोगो से मिलीभगत कर उनके बहकावे एवं सिखावे ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2020.10.29 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

आकर सायला ने कपोल कल्पित झुठे एवं मनगढन्त आधारो पर यह प्रार्थनापत्र केवल मात्र उत्तरदाता गैरसायल को तंग परेशान करने एवं खर्चे से जेरबार करने की नियत से पेश किया है जो किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। इसके अलावा उक्त पद में वर्णित अन्य तथ्य गलत होने से उत्तरदाता गैरसायल अस्वीकार करता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि उत्तरदाता गैरसायल की पत्नी के फौत होने के पश्चात सायला भूमाफिया एवं उत्तरदाता के विरोधी लोगों की सिखावट व बहकावट मे आकर उत्तरदाता गैरसायल को उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बेदखल करने एवं खर्चे से जेरबार करने की गरज से झुठे तथ्यो का समावेश कर उक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया है जो कतई चलने योग्य नही है। सायला का विवादित कृषि भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नही होने एवं सायला उक्त भूमि से आउट ऑफ पजेशन होने तथा राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही होने से सायला को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है तथा एक खातेदार काश्तकार के विरुद्ध सायला किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की भी अधिकार नही है सायला का किसी प्रकार से उक्त भूमि मे हक अधिकार निहित है तो सायला घोषणा का वादपत्र सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत कर अपने हक अधिकारों की घोषणा करवाकर ही उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की अधिकारी है। घोषणा के वादपत्र के अभाव मे सायला का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र किसी दृष्टि से चलने योग्य नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या पांच का जबाब है कि उत्तरदाता गैरसायल को अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का बेचान करने की कोई आवश्यकता वर्तमान मे नही है तथा न ही गैरसायल संख्या एक अपनी उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण कर रहा है एवं सायला शादी के बाद से स्थाई रूप से अपने ससुराल में निवास करती आ रही है एवं सायला का उपरोक्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है तो फिर दिनांक 15/06/2020 को सायला को उक्त भमि बैचान हस्तान्तरण रहन इत्यादि करने एवं सायला को उसके कब्जे से बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है सायला ने केवल मात्र झुठे एवं बनावटी तथ्यो एवं दिनांक का प्रार्थनापत्र मे उल्लेख कर केवल मात्र उत्तरदाता गैरसायल को उसके कब्जे काश्त की कृषि भूमि से महरूम करने की नियत से एवं उत्तरदाता गैरसायल की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाये बिना ही केवल मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश किया है तथा सायला न तो खातेदार काश्तकार है न ही सायला का मौके पर कब्जा काश्त है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है एवं घोषणा के अभाव मे केवल मात्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र एक खातेदार काश्तकार के विरुद्ध पेश किया है जो कानूनी प्रावधानों अनुसार भी चलने योग्य नही होने से मय खर्चा खारिज फरमावें। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जवाब है कि जवाब प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर गैरसायल के कब्जे काश्त से प्रथम दृष्टियां मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायला की बजाय गैरसायल के पक्ष मे प्रमाणित है यदि सायला द्वारा गलत व झुठे तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश गैरसायल के विरुद्ध पारित किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी निश्चित रूप से गैरसायल को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी क़दर संभव नहीं होगी एवं गैरसायल अपने जायज हक हक्कुको एवं अधिकारी से महरूम हो जायेगा इसलिए प्रथम दृष्टियां मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपू[illegible] तीनो ही बिन्दू सायला की बजाय गैरसायल के पक्ष मे प्रमाणि[illegible] प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें। अतः जवाब प्रार्थ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.10.29 17:10:40 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मय शपथपत्र व दस्तावेजात् पेश कर निवेदन है कि सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नही होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। प्रार्थिया द्वारा न्यायालय हाजा में वादग्रस्त आराजी को पैतृक-पुश्तैनी होना कथन करते हुए खातेदार एवं पिता अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई-निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् निवदेन किया है। मूल प्रकरण के संबंध में गुणावगुण पर विचार किए बिना हमारा विनम्र अभिमत है कि स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खातेदार द्वारा दर्ज करवाया जा सकता है क्योंकि स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के लिए विधिक रूप से दो आधार भूत आवश्यकता होती है, प्रथम वादी खातेदार हो तथा द्वितीय खातेदार की भूमि को क्षति कारित होने का आसन संकट उपस्थित हो। वादीया द्वारा हस्तगत प्रार्थना-पत्र में उक्त दोनों बिंदूओं के संबंध में कोई कथन कारित नहीं किया है। वादीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उसकी पैतृक पुश्तैनी है, जिसमें उसका हक जन्म से निहित है, अगर ऐसा है तो प्रार्थिया को खातेदारी अधिकरों की घोषणा का दावा करना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया है, अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम-दृष्ट्यां मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होता है, न ही प्रार्थिया यह साबित करनें में सफल रही है कि अगर उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूर्णनीय क्षति होगी न ही प्रार्थिया द्वारा सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित किया है, जबकि अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है, अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र ना साबित होनें से खारिज किया जाना विधि संगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा-212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें एवं साबित नहीं होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में दिनाँक 26.06.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रत्याहृत की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकरी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 21/10/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकरी
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar I
Date: 2020.10.29 17:10:40 I
Reason: SelfAttested